



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-2464/12-1 दिनांक, चकराता 10 जनवरी 2017

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, हरिद्वार, मुख्यालय-कालसी

विषय:- जनपद-देहरादून में के अन्तर्गत दमन से देसऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 12.675 किमी०) हेतु 5.8695 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1506/FP/UK/ROAD/7806/2014 दि० 01.12.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/06/16/2016/एफ०सी०/1346 दि० 25.11.2016 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयाकित मोटर मार्ग के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुसंधान पर व्यय।	11.739 है०	2,30,302.00	27,03,315.00
2	एन०पी०वी०	5.8695 है०	6,57,000.00	38,56,262.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं०-4 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या-2464 (1)/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता